न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/21/2020	2020/00163	08.10.2020	18.11.2022

उनवान

1. रमेश चन्द यादव पुत्र स्व श्री मानसिंह जाति अहीर निवासी मौहल्ला नयाबास, अलवर तहसील व जिला अलवर राज0। —अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 05.08.2020 नामान्तकरण संख्या 587 वाके ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री पवन सिंह चौहान —वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 05.08.2020 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 587 वाके ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर राज0 जिसे बेजा तौर पर अस्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पूर्व में मिन अपीलांट को आदेश दिनांक 05.08.2020 इंतकाल सं0 587 की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी होने पर नकल के लिए प्रा0पत्र पेश कर नियत अवधि में अपील पेश की गयी है। जानकारी से अपील पेश करने की अवधि तक कंडोन फरमाया जावें। पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पेश किया गया है। उक्त विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार अपीलांट के पिता मातादीन पुत्र श्योबक्स जाति अहीर थे। जिनका स्वर्गवास हो जाने पर अपीलांट के पिता अपीलांट से अत्यधिक स्नेह रखने के कारण अपीलांट के हक में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 01.11.2006 को कराया गया था। वसीयतनामें के आधार पर मानसिंह की विरासत का इंतकाल अपीलांट के हक में किया जाना चाहिए था। जो अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया। गत खसरा नम्बर 282 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा ग्राम लिवारी का काबिज काश्तकार फूलसिंह था जिसने उक्त आराजी में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा अपीलांट के पिता मानसिंह को बेचान कर दी। उक्त आराजी पर मिन अपीलांट का पिता काबिज रहा तथा उनके स्वर्गवास के बाद मिन अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है। जमाबंदी सवत् 2051 से 2070 में अपीलांट के पिता श्री मानसिंह के नाम पूरी आराजी गत खसरा नम्बर 282 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का इंतकाल कर दिया गया था। जबकि अपीलांट के पिता के नाम फूलसिंह ने गत खसरा नम्बर 282 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा का बयनामा कराया था बाकी जमीन स्वर्गीय फूलू के पुत्र रहमत द्वारा जरिये इकरारनामा मिन अपीलांट के पिता मानसिंह को प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचान कर दिया तथा कब्जा सम्भलवा दिया गया। उक्त शालिम आराजी 282 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 596 रकबा 0.67 है0 इंतकाल सं0 587 उक्त वसीयत के आधार पर मिन

जिला कलक्टर, अलवर

अपीलांट के नाम दर्ज व तस्दीक किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। मौके पर उक्त आराजी के संबंध में कोई विवाद नहीं है तथा किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है। उक्त आराजी पर मिन अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट के पिता ने बाकी आराजी व बयनामा अपने हक में नहीं कराया तो राजस्व विभाग बाकी आराजी की रजिस्ट्री फीस व पंजीयन शुल्क जमा कराकर उक्त आराजी का इंतकाल अपीलांट के हक में तस्दीक कर सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2020 इंतकाल सं0 587 वाके ग्राम लिवारी को निरस्त किया जाये एवं मृतक मानसिंह की विरासत का इंतकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज व तस्दीक किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.08.2020 के विरूद्ध दिनांक 08.10.2020 को पेश की गयी है। जो करीब 2 माह बाद पेश की गयी है। उक्त अवधि को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के न्यायिक दिष्टांतों के मध्धेनजर नरमी का रूख अपनाते हुए कंडोन किया जाता है। प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली में संलग्न विवादित इंतकाल की प्रति का अवलोकन किया गया। अपीलांट के पिता द्वारा फूलसिंह से खसरा नम्बर 282 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा होने का रजिस्टर्ड बयनामा करवाया था तथा मुताबिक अपीलांट उक्त खसरा नम्बर की बाकी आराजी 1 बीघा 13 बिस्वा का इकरारनामा भी मानसिंह के नाम कराया गया किन्तु उक्त आराजी 01 बीघा 13 बिस्वा का रजिस्टर्ड बयनामा नहीं कराया जाने पर अपीलांट के पिता व उसके बाद अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई अधिकार नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया निर्णय विधिसम्मत है। उक्त निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)